

— न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिक्षणगण —

प्र.सं १॥१७

— कार्य दिनांक २७.७.१७

— निर्णय दिनांक २॥२॥१७

— वसुधापान —

— हेमन्त नागर उम्र २४ वर्ष पुत्र प्रियुक्तपाल नागर जाति
— घाऊड निवासी तांची तहसील कोणार्डे जिला बारा (राज.)
— वारी —

— काय —

- १- महीबई पुत्री घनश्याम पत्नी मुन्डरबिहारी ज्योतिघाऊड
— निवासी जयवाडा हाल निवासी कलाहंडा तहसील बारा
जिला बारा (राज.)
- २- हेमराज पुत्र घनश्याम ज्योति घाऊड निवासी जयवाडा
तहसील शिक्षणगण जिला बारा
- ३- मनोज पुत्र घनश्याम ज्योति घाऊड निवासी जयवाडा हाल
शिक्षणगण जिला बारा
- ४- निर्मलाबई पुत्री घनश्याम पत्नी जमानाहाल ज्योति
घाऊड निवासी जयवाडा हाल नासगढ तहसील शिक्षणगण
जिला बारा (राज.)
- ३- राजेश्याम सरकार ज्योति तहसील शिक्षणगण जिला
बारा (राज.)

— प्रतिवादीगण —

— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश न क्रमांक ॥ ८१८
सहपत्रिद्वारा ॥ ८१८ प.८८.

— निर्णय दिनांक २॥२॥१७

उपखण्ड अधिकारी
— बारा (राज.)

अप्रार्थी क्रम 2 की अर्ह से प्रार्थना पत्र
7 नियम 11 CPC सहपक्षिद्वारा 151 CPC
द्वितीया प्रार्थना पत्र में कथन किया

1- यह कि वादी ने वादपत्र सम्मानीय न्यायालय में
विशेष पेश किया है। वादी / प्रार्थी ने इकरारनामा
3-4-2019 इनरजिस्टर्ड बचाननामा के आधार पर
सम्मानीय न्यायालय में वादपेश किया है। जो
श्रेय नहीं है बचान इकरारनामा के आधार पर
की विशिष्ट अनुपालना के लिये वाद सिविल न्याय
में पेश किया जा सकता है। तथा संविधा की
सिविल न्यायालय द्वारा कर्वाई जा सकती है।

2- यह कि वादी ने आधारहीन तथ्यों के आधार पर
न्यायालय में वाद पेश किया है। सम्मानीय न्यायालय
इस प्रकार के वाद सुनने का अधिकार नहीं है। तथा
क्रम 1 द्वारा सिविल न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 2 के
रिजिज डी, हक त्याग निराला किये जाने बाबत वाद
पर रूपा है। जो जवाब है विचाराधीन है। तथा
प्रतिवादी क्रम 1 ने शीमान न्यायालय में विचाराधीन
सिविल न्यायालय नदीवाई बनाम हमराज कंगराह
संख्या 131/9 के तथ्यों को भी वादी ने शीमान न्याय
में दुरूपया है, इस प्रकार उक्त वाद को शीमान न्याय
में वादी को पेश करने का अधिकार नहीं है। जो
के प्राथमिको के विपरीत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी
वादपत्र हक त्याग कराने की कृपा करें।

वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
7 नियम 11 CPC की नकल तब सीम की गई

अधिवक्ता

वादी अधिकता ने अवार्ड प्रार्थना पत्र अलग गति आये
नियम 11 C.P.C. इस आदेश का पेय किया -

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 अस्वीकार है। और
कम है कि प्रतिवादी कम 2/ प्रार्थने अभी उक्त वाद में
लिखित अवार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। और प्रतिवादी कम 2
प्रार्थी को वादी। अर्थात् द्वारा तैयार किया गये दावे के खिलाफ
अपने कथनों को जोड़े बताने हेतु लिखित अवार्ड में प्रार्थना पत्र
की मद नं० 1 में वर्णित कानूनी आपत्तियां उठानी चाहिये
और ऐसे सभी कानूनी विन्यक्तों का परिक्षण न्यायालय
द्वारा निर्णय के लिये तभी के रूप में तैयार किया
जाना चाहिये। और परिक्षण न्यायालय के लिये यह
अव्यक्त है कि वह कैसे अपने पक्षकारों के प्रत्येक
प्रकरण की जांच करें। और फिर कानून के प्राधान्य
के अनुसार फैसला करें। प्रकरण में इस ऐस पर उक्त
कानूनी आपत्ति नहीं उठई जा सकती। R.P.D. 1996
में यह held किया है। That legal objections
should be raised in written statement and
issues be framed. case must be decided after
examining the issues - Decision merely on
The basis of only legal objection is not
justified ऐसी स्थिति में प्रार्थी। प्रतिवादी कम 2 द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 अस्वीकार है। और कथन
कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी अर्थात् ने वाद पत्र में
वर्णित विवादास्पद बिंदुओं के लिये 1/4 का अभिधारी
। और अभिधारी को इस 1/4 हिस्से आसानी पर

उपलब्ध अधिकारी
जिला वाद (अवार्ड) (वादी)

शतद्वारी अधिकारी की घोषणा साल करने
 द्वारा का गठन कर रहे हैं और प्रतिवारी
 निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिये प्रत्युत
 इस प्रकार के अनुतोष हथिये द्वारा परमाणु
 द्वारा ही सफल किये जा सकते हैं। हथिये द्वारा
 प्रकार के अनुतोष प्रदान करने का श्रेय अधिकार
 को नहीं है। राजस्थान कायदाकारी कानून की दृष्टि
 में यह प्रावधान किया गया है कि तृतीय अनु
 ध्यात्मिक नार्थल विधि 188 प्रकृति अर्थात् धारा
 52A, 53, 188 R.A. के सभी प्रकार के
 तार्थनापत्र मात्र राजस्थान न्यायालय द्वारा ही
 सिविल न्यायालय तृतीय अनुसूची में ध्यात्मिक
 विधि 188 प्रकृति उपरोक्त प्रकार के नार्थ अर्थात्
 फोटो पर सुनवाई नहीं कर सकता। ऐसी
 भी तार्थ। प्रतिवारी कठ 2 द्वारा प्रत्युत प्रा
 रणारिण किये जाने का विषय है।
 3- यह कि अन्त प्रत्युत कठ बहस मार्गिक वि
 किये जायेंगे।

ध्यातः उपरोक्त तार्थनापत्र प्रत्युत कर विवेक
 तार्थ द्वारा प्रत्युत तार्थनापत्र शारिण फरमान का
 श्रेय प्रदान करें।

प्रतिवारी अधिकारी को उपरोक्त तार्थनापत्र
 नार्थ तवेसीम ही गई।

तार्थनापत्र अन्तर्गत अध्यात्म नियम 110
 सहपठित धारा 151, 152 पर उभयपक्ष
 पर सुनी गई। दौरान कठ कभी

अधिकारी

ने निवेदन किया कि प्राप्ति पत्र की मदद न। मे
 वगैर तथ्य दावे मे सुनवाई योग्य है। जगत दावे मे
 लगे-चाहिये थे। तन्वी काया कर मिलित होने। नारी
 जे-तथ्य दिग्गो है, गलत है। प्रतिगती कम। ने कर्मस्थान
 क दावा सिविल कोर्ट मे कर रखा है। हमने नही, सिविल
 88, 89, 53 पराम मे मांगे है। RA Act को चारा 207
 मे दर्ज है। राजस्व न्यायालय ही सुन सकता है।
 सिविल कोर्ट के दावे की प्राप्ति मुझे नही प्रतिगती का
 7-11 का प्राप्ति पत्र खारिज करें।

प्रतिगती कम 2 के अधिकता ने निवेदन किया कि
 दाव विधि-विच्छू है। इच्छर नामा 31/11/19 को
 5 लाख रुपये मे नारी को कटका सम्मल्ला चुकी है
 यह इच्छर नामा फल है। नोटेरी नही है। सिविल
 नही no Validity इसी नही वही ने हमे थुमि सिविल
 कर रक्की है। जिसकी डेन्सेलेशन की जामिना ही सिविल
 कोर्ट मे विचाराधीन है। तथा रुपामा स्पेसिफिक
 परफारमेंस के तहत सिविल कोर्ट को ही अधिकार है।
 नया सम्मला है। 2019 पजेशन नही है। 53 मे
 केवल कोरेमेर ही दावा ला सकते है। आप सहजोते प्रा
 नही है। RA Act Sec 207(A) 7 मे यह हेल्ड
 किया है कि इस तरह का दावा राजस्व न्यायालय में नही
 सुन सकते 7-11 स्वीका किया जाके दावा
 खारिज किया जाने।

पत्रावली का उपलक्षण किया गया, पत्रावली
 में उपलक्ष्य राजस्व रेकार्ड का महत्ता से अध्ययन

उपलक्षण अधिकारी

